

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र आकार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय को भेजने से ही प्रेषण माने जाये कि नहीं अन्य कार्यालयों को भेजने से।
आवधिकार दिनांक 04 मई पूर्व में एक आकार 5.50 से तो उन कक्षाएं एवं विभाग आकार लिखा जाने विस्तार अधिक हो।



जग : ग्वालियर
दूरभाष : 0091-0751/ 2442901 (महिला)
2442462 (पुरुष)
फैक्स : 0091-0751-2341768
E-mail : jurcg_gwj@rediffmail.com
Website : http://www.jyoti.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एक/सम्बद्धता/2012/ 5618

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पत्र क्रमांक (16) के निर्णयानुसार श्री रावतपुरा सरचर स्वतंत्र महाविद्यालय, दतिया की सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.कॉम. तृतीय वर्ष, प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन अति.वि., एम.एस.-सी. उत.उ.ई., बायोटेक्नोलॉजी, पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई राजबद्धता विन्ड शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत प्राचार्य की नियुक्ति दो माह के भीतर करें।
- दो लाख रुपए की विषय वार पुस्तकें क्रय की जावें।
- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत प्रत्येक विषय में तीन-तीन और शिक्षकों कीड़ा अधिचारी पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्तियां दो माह के अन्दर करें।
- प्रयोगशालाओं हेतु दस लाख रुपए के उपकरण एवं पांच लाख रुपए के रसायन दो माह के भीतर करें।
- पुस्तकालय में दस राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकायें निरन्तर क्रय करें।
- प्रयोगशालाओं हेतु विषय संबंधित लैबल सॉफ्टवेयर क्रय करें।
- उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् ही पुनः निरीक्षण के उपरान्त सत्र 2012-13 में एम.एस.सी. बायोटेक विषय में नवीन छात्रों को प्रवेश दें।
- महाविद्यालय को यह अंतिम अवसर दिया जाये।

अदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, श्री रावतपुरा सरचर स्वतंत्र महाविद्यालय, दतिया
- सावुजल, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रावतपुरा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर संवत् संभाग, मोती मण्डल बरिंदर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/ओपरीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-02, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)